

# कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

स्वास्थ्य संकुल, लोहागल रोड जवाहर संगमंथ के पास, अजमेर

क्रमांक : कोविड-19/2021/4827

दिनांक : 19/05/2021

## विज्ञापि

श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान-सरकार, जयपुर के आदेशांक प1(1)निरवा/ग्रुप-2/2020 जयपुर दिनांक 18.05.2021 के द्वारा प्रदेश में कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थिति के परिपेक्ष्य में "कोविड हैल्थ कन्सल्टेंट" एवं "कोविड स्वास्थ्य सहायक" को 31 जुलाई 2021 तक चिकित्सा व्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु निम्न पद अनुरार रखा जाना है।

S.NO.	Name of Contractual Post	No. of Post	Essential Qualification	किन्सा मानदेय प्रतिमास	विशेष विवरण
1.	कोविड हैल्थ कन्सल्टेंट	40	MBBS with RMC Registration certificate	39300/-	प्राथमिकता-पीजी/एमडी - मेडिसिन एवं एमडी-फोरेन्सिमा वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी शेष हेतु एमबीबीएस में प्राताक के आधार पर मेरिट अनुसार
2.	कोविड स्वास्थ्य सहायक		GNM with RNC Registration certificate	7900/-	प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर 01 पद, प्रत्येक प्रास्ताक पर 02 पद, प्रत्येक सा.स्वा.के. पर 03 पद, शहरी क्षेत्र हेतु प्रति वार्ड 02 पदों का कोविड स्वास्थ्य सहायकों का घयन किया जाना है।

निर्धारित योग्यताधारी आवेदनकर्ता को अपना आवेदन/प्रार्थना पत्र, स्वयं हस्ताक्षरित बायोडाटा, पासपोर्ट साइज फोटो एवं निर्धारित योग्यता के प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति व मूल निवासी प्रमाण पत्र (1 सेट) संलग्न करना आवश्यक है।

नोट :1. उक्त मानदेय के अलावा किसी भी प्रकार का कोई भत्ता देय नहीं होगा।

2. कोविड हैल्थ कन्सल्टेंट पद हेतु आवेदन पत्र स्वास्थ्य संकुल भवन, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर में निर्धारित स्थान पर जमा कराये जायेंगे।

3. कोविड स्वास्थ्य सहायकों के नियोजन में स्थानीय अभ्यर्थियों का शैक्षणिक योग्यता का प्रतिशत+ तकनीकी योग्यता का प्रतिशत के आधार पर मेरिट बनाकर घयन किया जायेगा।

4. कोविड स्वास्थ्य सहायक पद हेतु अजमेर शहरी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र स्वास्थ्य संकुल भवन, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर में निर्धारित स्थान पर जमा कराये जायेंगे।

5. ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यर्थी अपने आवेदन संबंधित ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अपने आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

6. अभ्यर्थियों से दिनांक 25.05.2021 दोपहर 01.00 बजे तक आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे। निर्धारित तिथि पश्चात किसी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

घयन की प्रक्रिया जिला कलक्टर, अजमेर के आदेशांक 234 दिनांक 19.05.2021 द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति के समक्ष निर्देशानुसार नियमानुसार योग्यता की जाँच/दस्तावेज सत्यापन/मेरिट के आधार पर की जाकर श्रीमान जिला कलक्टर, अजमेर के अनुमोदन के उपरान्त की जायेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी तथा किसी भी प्रकार की आपत्ति की दशा में न्याय क्षेत्र अजमेर होगा एवं उक्त विज्ञापि को किसी भी स्तर पर बिना कारण बताये निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

सदस्य सचिव व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
अजमेर।